न्यायालय भरण पोषण न्याधिकरण, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 06/2022 दायर दिनांकः 02.11.2022

उनवान

1. हीरालाल आयु 65 वर्ष पुत्र घांसीलाल जाति ऐरवाल निवासी चरडाना तहसील अटरू जिला बारां हाल बाबा रामदेव वृद्धाश्रम गायत्रीनगर अटरू।

प्रार्थी

बनाम

1. बाबूलाल आयु 40 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति ऐरवाल निवासी चरडाना तहसील अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत भरण पोषण राशि दिलाये जाने

निर्णय

दिनांक 25.08.2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् भरण पोषण राशि दिलाये जाने हेतु इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी ग्राम चरडाना तहसील अटरू जिला बारां राज0 का रहने वाला है जिसको प्रार्थी के परिवार के सदस्यों द्वारा प्रताडित किया जा रहा है/घर से निष्कासित कर दिया है। जिससे प्रार्थी का जीवन—यापन करना मुश्किल हो गया हें इसलिए प्रार्थी को प्रतिमाह भरण पोषण राशि 5000/— दिलाया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी मेहनत मजदूरी करके 15000/—प्रतिमाह की आय अर्जित कर लेता है जो प्रार्थी को भरण पोषण हेतु 5000/—प्रतिमाह अदा करने में सक्षम है प्रार्थी अप्रार्थी का पिता है जिसको भरण पोषण का दायित्व अप्रार्थी का है। अतः श्रीमान की सेवा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी को तलब कर, भरण पोषण राशि दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण अन्तर्गत धारा—5 व 6 भरण पोषण अधिनियम में दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

साक्ष्यप्रार्थी के तहत Pw1 हीरालाल पुत्र घांसीलाल जाति ऐरवाल के सशपथ गवाह बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यप्रार्थी ने सशपथ बयान किये कि मेरे लडके बाबूलाल ने मुझे घर से प्रताडित कर भगा रखा है इसलिए मैं अभी बाबा रामदेव वृद्धाश्रम में रह रहा हूॅ। मेरा लडका मेहनत मजदूरी करके 15000/-रू प्रतिमाह कमा लेता है। अतः मेरे लडके से 5000/-रू प्रतिमाह भरण पोषण दिलाया जावे।

तहसीलदार अटरू व विकास अधिकारी पंचायत समिति अटरू से अप्रार्थी की आय व आय के विभिन्न स्त्रोतो की जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/भू0अ0/2023/4317 दिनांक 21.07.2023 से रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी बाबूलाल व प्रार्थी हीरालाल पुत्र घांसीलाल के नाम पटवार मण्डल चरडाना के राजस्व रिकार्ड में कोई भूमि दर्ज नही है। बाबूलाल पुत्र हीरालाल मजूदरी करता है। विकास अधिकारी पंचायत समिति अटरू द्वारा पत्रांक/पंचा0/2023-24/316 दिनांक 21.07.2023 से जांच रिपोर्ट पेश की गई। विकास अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार बाबुलाल के कोई जमीन नही है व मकान भी आवास योजना के अन्तर्गत बना हुआ है। बाबूलाल मजदूरी करता है एवं आय का कोई स्त्रोत नही है।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि प्रार्थी को उसके लडके बाबूलाल ने घर से प्रताडित कर भगा रखा है इसलिए प्रार्थी वर्तमान में बाबा रामदेव वृद्धाश्रम अटरू में रह रहा है। प्रार्थी का पुत्र मेहनत मजदूरी करके 15000/-रू प्रतिमाह कमा लेता है। अतः प्रार्थी को 5000/-रू प्रतिमाह भरण पोषण दिलाया जावे।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा सशपथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम एवं साक्ष्य प्रार्थी के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा घर से बाहर निकाल दिया है और प्रार्थी वर्तमान में बाबा रामदेव वृद्धाश्रम अटरू में निवास कर रहा है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं रिपोर्ट तहसीलदार अटरू व विकास अधिकारी पंचायत समिति अटरू की रिपोर्ट व साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट है कि अप्रार्थी मजदूरी कर जीवन यापन करता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी बाबूलाल पुत्र हीरालाल को आदेश दिये जाते है कि वह प्रार्थी को 1000/—रूपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि देना सुनिश्चित करें। थानाधिकारी अटरू को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को अप्रार्थी से 1000/—रूपये प्रतिमाह भरण पोषण राशि दिलवाया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
भरण पोषण न्याधिकरण
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
अटरू जिला बारां